इसके साथ-साथ एक वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो वह भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाणपत्र प्राप्तकर भारत का नागरिक बन सकता है। 2019 5 वर्ष

Along with this, he has also lived in India for a total of at least 7 years before one year and has acquired good knowledge of any one of the languages mentioned in the Constitution, then he can become a citizen of India by obtaining a certificate of naturalization from the Government of India.

नागरिकता का अन्त (The Abolition of citizenship)

किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अन्त निम्न तीन प्रकार से हो सकता है-

/The citizenship of an Indian citizen may end in the following three ways-

(i) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर

On acquiring the citizenship of another country

(ii) नागरिकता का परित्याग करने पर, या

On renouncing the citizenship, or

(iii) सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर

On being deprived of citizenship by the government

भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है-

The Government of India may deprive a person of Indian citizenship on any of the following grounds-

(i) संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर,

For showing disloyalty to the Constitution,

(ii) युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर,

For aiding the enemy during war,

(iii) गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर,

For acquiring citizenship by wrong means,

(iv) पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के

or acquiring citizenship by registration or naturalization

5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर।

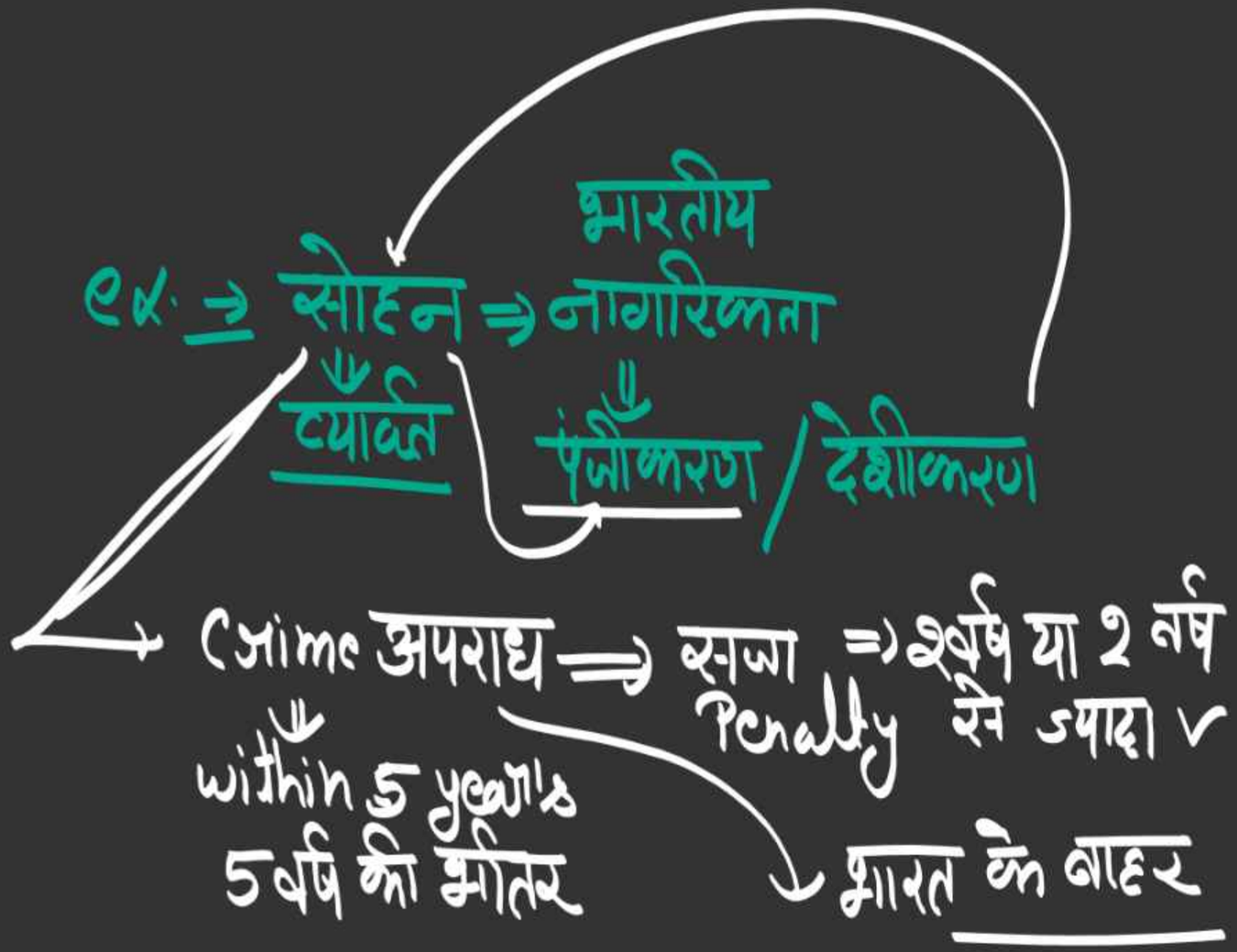
On being sentenced to 2 years imprisonment by any other country within 5 years.

(v) किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करनेपर, या

On an Indian woman marrying a foreign man, or

(vi) लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर।

On staying outside India for 7 continuous years.


Ex. → सोहन ⇒ भारतीय नागरिकता
व्यक्ति
पंजीकरण / देशीकरण
Crime अपराध ⇒ सजा Penalty ⇒ 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा
within 5 years
5 वर्ष की भीतर
भारत के बाहर

CAA ⇒ 2019

Citizenship Amendment Act 2019

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ⇒ 10 Jan 2020 से लागू (execute)

↳ Bill विधेयक → नागरिकता संशोधन विधेयक 2019

⇓

9 Dec 2019 को लोकसभा में

↳ Pass पारित

⇓

11 Dec 2019 को राज्य सभा में गया

↳ पारित Pass

⇓

12 Dec 2019 ⇒ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास गया।

→ इस पर हस्ताक्षर ⇒ 12 Dec 2019

↳ Bill ⇒ अधिनियम

31 Dec 2014 तक या इससे पहले कोई व्यक्ति
जो हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी इसाई है और
अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आया है उसे अवैध प्रवासी (illegal immigrants)
नहीं माना जायेगा।

⇓

यह अधिनियम 6 अल्पसंख्यक समूहों (6 minorities groups) के लोगों के लिए
देशीयकरण की अवधि (Duration) को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करता है।

अनु० 5, संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता (Citizenship at the Commence- ment of the Constitution) के बारे में है।

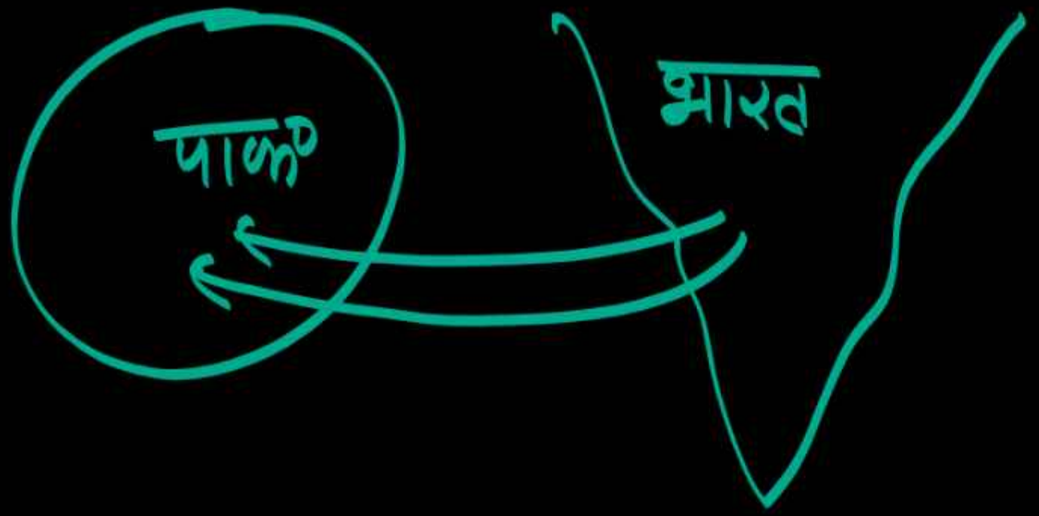
अनुच्छेद-6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

Article 6, rights of citizenship of persons coming to India from Pakistan



अनुच्छेद-7, पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of citizenship of certain mi- grants to Pakistan) के बारे में है।

Article 7 is about the Right of citizenship of certain mi- grants to Pakistan.



अनुच्छेद-8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of citizenship of certain persons of India Origin residing Outside India) के सम्बन्ध में हैं।)

Article 8 deals with the right of citizenship of certain persons of India Origin residing Outside India.



अनुच्छेद-9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वत: समाप्त हो जाती है।*

According to Article 9, when a person voluntarily becomes a citizen of a foreign state, his Indian citizenship automatically ends.*

अनुच्छेद-10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी किसी अन्य प्रकार से नहीं।

According to Article 10, the citizenship of a person can be taken only by a parliamentary law and under the provisions of the law and in no other way.

Dual citizenship
दोहरी नागरिकता => USA => जब किसी देश में पूरे देश और राज्य की नागरिकता अलग-2 हो।

मौलिक अधिकार

Fundamental Rights

⇓

Part (भाग) → III

Art. 12-35

→ अमेरिका (USA) से लिया है।

⇒ भारतीय संविधान द्वारा दिये गये हैं।

⇓

भारतीय नागरिकों (Indian citizens)

गैर-नागरिकों / विदेशियों

↳ foreigners

⇓

वे अधिकार जो केवल भारतीय के लिए (only for Indians)

↳ Art. 15, 16, 19, 29, 30

ये अधिकार (Art. 15, 16, 19, 29, 30) विदेशियों को नहीं हैं।